डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 60 ● अंक 19 ● भोपाल ● 1-15 मार्च, 2017 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

सहकारिता आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम : श्री केसरी

सहकारी प्रबन्ध संस्थान भोपाल में नवनियुक्त सहायक आयुक्तों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

भोपाल। सहकारिता आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम हैं। प्रदेश में नवाचार के तहत नयी तरह की सहकारी संस्थायें गठित की जा रहीं है इससे एक ओर जहां प्रदेश के विकास में वह भागीदार बनेंगी वही इससे जुड़े हुए लोगो को रोजगार भी प्राप्त होगा। उक्त उद्‌गार श्री अजीत केसरी, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव, सहकारिता, ने सहकारी प्रबंध संस्थान में नव नियुक्त सहायक आयुक्तों के एक माह के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर व्यक्त किये।

श्री केसरी ने प्रशिक्षणार्थियों से अपने जिले में सहकारिता विभाग में उत्कृष्ट सेवा देने का आव्हान किया। उन्होंने सहकारिता विभाग के महत्व को लक्ष्य में रखकर बताया कि यह विभाग समाज के हरेक वर्ग के उत्थान के लिए कार्यरत हैं इसलिए विकास और व्यवसाय के अनेक क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएँ अपना योगदान दे रही हैं । भविष्य की योजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने सहकारिता में नवाचार के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाली नई तरह की सहकारी संस्थाओं के बारे में भी बताया । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक निर्णय लेते समय म.प्र. राज्य सहकारी अधिनियम और सम्बन्धित नियमों के अनुसार ही निर्णय लें । श्री ए.के. दीक्षित अपर आयुक्त ने सहकारिता विभाग के समक्ष संभावित चुनौतियों पर चर्चा करते हुए विश्वास जताया कि इस आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी सहायक आयुक्त लगन और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का वहन करेंगे साथ में उन्होंने सहकारी प्रबन्ध संस्थान के निदेशक डॉ.ए.के.अस्थाना का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने दक्षता के साथ आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

संस्थान में दिनांक 9.1.17 से 11.2.2017 तक सहकारिता विभाग म.प्र. के नवनियुक्त सहायक आयुक्त हेतु आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था । इस कार्यक्रम में वर्ष 2013 के 5 सहायक आयुक्त एवं वर्ष 2014 के 7 सहायक आयुक्त ने भाग लिया। नवनियुक्त सहायक आयुक्त में से इंजीनियर/एम.बी.बी.एस और सोशल साइन्स के डिग्रीधारक थे एवं इनमें से कुछ पूर्व में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के उपक्रम में सेवारत थे। ऐसे में इनकी जिलों/संभागों में पदस्थी से पूर्व राज्य और सहकारिता से सम्बन्धित जानकारी देने की आवश्यकता महसूस की गई । सहकारी प्रबन्ध संस्थान व्दारा सहकारिता का उद्‌भव, मध्यप्रदेश में सहकारिता का विकास, म.प्र. राज्य सहकारी अधिनियम 1960, अंकेक्षण, और व्यवसायिक प्रबन्धन, म.प्र. सहकारी साख संरचना और देश के सहकारिता आन्दोलन परिवेश इत्यादि विषयों का 30 दिनों में सघन प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संस्थान के विषय विशेषज्ञों के अलावा सहकारिता विभाग के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और वर्तमान अधिकारियों जिसमें श्री पी.डी. मिश्रा, (से.नि)., अपर आयुक्त, श्री सुशील कुमार मिश्र, (से.नि). अपर आयुक्त, श्री के. आर. साहू, महाप्रबन्धक (से.नि). अपेक्स बैंक, श्री एल.डी.पण्डित, सलाहकार,, श्रीमती कृति सक्सेना, उपायुक्त, श्री एस.एम भटनागर, उपायुक्त, श्री प्रेम व्दिवेदी उपायुक्त, इत्यादि ने प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को अपने प्रशासनिक अनुभव का लाभ दिया। इस सैध्दांतिक प्रशिक्षण को व्यवहारिक और लोकोन्मुखी बनाने हेतु सप्ताहांत विषयवार परीक्षा ओर प्रेजेंटेशन रखा गया जिससे उनके प्रशासनिक गुणों में निखार लाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा सम्प्रेषण और प्रस्तुती कला में दक्षता लाने का प्रयास किया गया। प्रशिक्षण के अन्तिम चरण में दिनांक 8 फरवरी, 2017 को सहायक आयुक्तों ने भोपाल स्थित शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं का भ्रमण किया और वहां के अधिकारियें से भेंट की और उनकी उपलब्धियों की जानकारी हासिल की। प्रशिक्षण के अन्तिम दिन दिनॉक 9 फरवरी 2017 को सभी सहायक आयुक्तों ने सहकारिता विभाग के अधिकारियें के समक्ष सहकारिता के ज्वंलत विषयों पर अपनी प्रस्तुती दी।

सहकारी समितियाँ भी करेंगी साँची दुग्ध उत्पाद विक्रय

एमपीसीडीएफ और सहकारिता विभाग एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ के बीच होगा अनुबंध

भोपाल। प्रदेश के अधिक लोगों को साँची दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिये स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, उपभोक्ता भण्डारों और विपणन समितियों के माध्यम से भी दुग्ध उत्पाद और सुदाना विक्रय का निर्णय लिया है। इसके लिये एमपीसीडीएफ, सहकारिता विभाग एवं पंजीयक सहकारी संस्थाओं के बीच अनुबंध होगा। अब तक साँची ब्रॉण्ड के दूध एवं दूध उत्पादों का विक्रय पूरे प्रदेश में लगभग 6,500 विक्रय-केन्द्र द्वारा किया जाता था।

साँची के दुग्ध उत्पाद जैसे- घी, दूध, दुग्ध चूर्ण, मीठा सुगंधित दूध, मिल्क केक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन के साथ अब डेयरी फेडरेशन द्वारा निर्मित सुदाना ब्रॉण्ड का पशु आहार भी कृषि साख सहकारी समिति, उपभोक्ता भण्डार और विपणन समितियों द्वारा विक्रय किया जायेगा।

प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर एवं सागर दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध समितियों के 2 लाख 30 हजार सदस्यों से प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध का संकलन किया जाता है। संकलित दूध में से 7 लाख 60 हजार लीटर दूध साँची ब्रॉण्ड में पैक कर शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को उचित दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण देने की योजना

खरीफ सीजन के लिये ड्यू डेट 28 मार्च

भोपाल राज्य शासन ने शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि कृषि ऋण देने की योजना को निरंतर रखते हुए खरीफ सीजन के लिये ड्यू डेट 28 मार्च निर्धारित की है। पूर्व में यह ड्यू डेट 28 फरवरी की गयी थी। शासन द्वारा सहकारी बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण दिये जाने के लिये गत वर्ष लागू योजना को निरंतर रखा गया है।

समर्थन मूल्य पर तुअर खरीदी के संबंध में निर्देश

भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्राईस स्टेबलाइजेशन फंड योजना के तहत समर्थन मूल्य पर नियमानुसार दलहनी फसल तुअर खरीदी के संबंध में आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 5 हजार 50 रूपये की दर से तुअर की खरीदी की जायेगी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर की खरीदी के लिए किसानों को अपने साथ बैंक पासबुक की फोटोकापी, ऋण पुस्तिका की फोटोकापी, पटवारी द्वारा बोवनी प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र लाना होगा। कृषि उपज मंडियों में किसानों से तुअर की खरीदी निर्धारित मापदंड (एफएक्यू क्वालिटी) के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं । साथ ही किसानों को आरटीजीएस से 48 घंटे में भुगतान की कार्रवाई करना सुनिश्चित करायें।

सहकारी पर्यटन में एक दिवसीय कार्यशाला

भोपाल। सहकारिता में नवाचार के अन्तर्गत सहकारी पर्यटनसमितियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण/ कार्यशाला का आयोजन सहकारी प्रबन्ध संस्थान, भोपाल और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 31.1.2017 को किया गया। सहकारिता विभाग के श्री प्रेम व्दिवेदी, उपायुक्त ने कार्यशाला मेंबताया कि प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से नागरिकों के कल्याण एवं सामाजिक विकास हेतु अनेक क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। सहकारिता में वर्तमान परिवेश में परिवर्तन, परिवर्धन आवश्यक है, इसलिये नवाचार की अवधारणा के अंतर्गत अनेक नये क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जिसमें पर्यटन अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें सहकारिता के माध्यम से पर्यटकों को अफोर्डेबल (उचित बजट में) पर्यटन उपलब्ध कराने की पहल की गई। इस कार्यशाला में विभिन्न पर्यटन सहकारी समितियों के 15 पदाधिकारी उपस्थित हुए।

डॉ.ए.के. अस्थाना, निदेशक ने बताया कि कार्यशाला में जिला शिवपुरी, छिदंवाडा ,होशंगाबाद, रींवा, जबलपुर, सतना, धार, पिपरिया, ग्वालियर आदि जिलों में कार्यरत 15 प्राथमिक सहकारी पर्यटन समितियों के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष शामिल हुए थे। इन पर्यटन समितियों के माध्यम से पर्यटकों को श्रेष्ठ सेवाएं किस प्रकार प्रदाय की जाएं एवं उन्हें शासन से किस प्रकार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इस हेतु चर्चा की गई तथा उन्हें पर्यटन के प्रत्येक बिन्दु पर प्रशिक्षण दिया गया एवं जिला स्तरीय टूरिस्ट प्रमोशन काउंसिल में उनके नामांकन हेतु निर्देश भी प्रदान किये गये।

प्रशिक्षण में समितियों से विदित हुआ कि पंजीयन उपरांत अनेक पर्यटन सहकारी समितियों ने यथा रीवा, सतना, पातालकोट, छिंदवाडा, शिवपुरी, मढई जिला होशंगाबाद आदि ने कार्य शुरू कर लिया है तथा अपने पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। यह सहकारी समितियां पर्यटकों को पर्यटन भ्रमण, स्थानीय संस्कृति की पहचान आवास, परिवहन, गाइड व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, होटल बुकिंग आदि का कार्य करेंगी। श्री श्रीकुमार जोशी, संयुक्त आयुक्त ने पर्यटन क्षेत्र में व्यवसायीकरण ओर विस्तारीकरण के लिए सभी समितियों को मार्गदर्शन दिया ।

कार्यशाला के अंत में समितियों ने देशी और विदेशी पर्यटकों को पर्यटन की सुविधा देने कें लिए कुछ आधारभूत ढांचा निर्मित करना भी आवश्यक बताया गया। यह भी मांग की गई कि वन विभाग और पर्यटन विभाग संचालित नहीं किये जाने वाले केन्द्रो को जिला प्रमोशन काउंसिल को आधिपत्य में दिया जाए ताकि यह पर्यटन सहकारी समितियां अनुपयोगी संपत्तियों का उपयोग व संरक्षण कर पर्यटन की गतिविधियों को विकसित कर सकें। पर्यटन सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों व्दारा प्रदेश में केरल की तर्ज पर एक टूरिस्ट फेडरेशन बनाने की मांग की गई तथा शासन व्दारा उन्हें सुविधाए प्रदान कर किस प्रकार श्रेष्ठ कार्य किया जा सकता है, की सकारात्मक सहायता की मांग भी की गई। शीघ्र ही प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से पर्यटन की गतिविधियों को पर्याप्त बढावा व संरक्षण हेतु अनेक कार्य किये जाएंगे। सहकारी मंथन–2016 माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में सितंबर 2016 सम्पन्न हुआ था जिसमें पर्यटन क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से पर्याप्त कार्य हेतु अनुशंसा भी प्राप्त हुई थी। इस अनुक्रम में माननीय सहकारिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग के निर्देशानुसार प्रदेश के पर्यटन में महत्वपूर्ण जिलों उज्जैन, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाडा, रीवा, भोपाल, शिवपुरी, धार, जबलपुर, चित्रकूट, अशोकनगर, ग्वालियर आदि जिलों को चिन्हित किया गया तथा वहां पर पर्यटन सहकारी समितियों को पंजीयन किया गया। शेष अन्य जिलों में भी पर्यटन हेतु समिति पंजीयन कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

जबलपुर। श्री बालाजी नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित सतना में म.प्र राज्य सहकारी संघ भोपाल के सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शशिकांत चतुर्वेदी व्याख्याता ने किया। प्रशिक्षण में म.प्र. राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधान बताते हुए विशेष रूप से संचालक मण्डल की बैठकों का आयोजन, शक्तियां तथा वार्षिक साधारण सभा का आयोजन एवं विषय वस्तु तथा कार्यवाही लेखन हिन्दी राजभाषा में करने एवं आयोजन दिनांक से तीस दिवस के भीतर कार्यवाही उप आयुक्त सहकारिता एवं संचालको को प्रस्तुत करने की जानकारी दी गई। साथ ही खुली ऐच्छिक सदस्यता के सिद्धांत के अनुपालन में सदस्यता वृद्धि का महत्व बताया गया। प्रशिक्षण में श्री रामबहोर तिवारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री रवि अग्रवाल प्रबंधक, ई.डी.जी. श्री अरूण जैन मुख्य लेखापाल, श्री पंकज खरे लेखापाल, श्री अमित सिंह मेनेजर लेखा, श्री सुनील सोनी हैड कैशियर, श्री अनिल त्रिपाठी कैशियर श्री संतोष मिश्रा क्लर्क, श्री साजिद आलम, श्री अनिल त्रिपाठी आदि ने उत्साहपूर्वक परिचर्चा/ प्रशिक्षण में भाग लिया।

श्री यशोवर्धन पाठक को मातृशोक

भोपाल। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक की माताश्री भागवती पाठक का 92 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया । वे जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक श्री हर्षवर्धन पाठक, दैनिक जागरण भोपाल के पत्रकार श्री सर्वदमन पाठक एवं स्वतंत्र पत्रकार डा0 प्रियदर्शन पाठक की मातृश्री थीं। अपने समय के प्रसिद्ध पत्रकार स्वर्गीय पं. भगवती प्रसाद पाठक की धर्मपत्नी श्रीमती भागवती पाठक विदुषी एवं अवकाश प्राप्त शिक्षिका थी। दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर एवं मुख्यालय में शोक सभा आयोजित की गई । शोक सभा में दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई।

बॉयर सेलर मीट में भाग लेने आवेदन आमंत्रित

राजगढ। वर्ष 2017–18में संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बॉयर सेलर मीट का आयोजन भारत के प्रमुख शहरों (दिल्ली, मुम्बई, बैंगलुरू, नोयडा आदि) में किया जाना हैं। इच्छुक निर्यातक बुनकर/शिल्पी, जो अपने उत्पादों को बेचने के लिये स्वयं के खर्चे पर भाग लेना चाहते हों, वे अपना आवेदन संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हस्तशिल्प भवन, हमीदिया रोड, भोपाल में जमा करा सकते हैं। इच्छुकजन विस्तृत विवरण के लिये निगम की वेबसाईट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

5 एकड तक के वनाधिकार पट्टाधारियों को मिलेगा कपिलधारा कूप का लाभ

सीहोर।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डा0 केदार सिंह बताया की महात्मा गांधी नरेगा की कपिलधारा उपयोजना का लाभ 1 एकड से 2.5 एकड तक के असिंचित कृषि भूमि धारको को दिये जाने के निर्देश है। लेकिन वनाधिकार पट्टा धारी हितग्राहियो के लिए 2.5 एकड की सीमा बढाकर 5 एकड तक की गई है। 5 एकड तक के असिंचित कृषि भूमि वनाधिकार पट्टा धारियो को कपिलधारा उपयोजना का लाभ अनिवार्यता दिये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

उपयोजना से सर्वप्रथम विधवा अथवा परित्यकता महिला परिवार को लाभांवित किया जावेगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के परिवारो को तथा इनके बाद अन्य परिवारो को प्राथमिकता से लाभांवित किया जावेगा।कूप निर्माण के लिए 2.30 लाख की सहायता महात्मा गांधी नरेगा से कृषको को दी जावेगी। ग्राम रोजगार सहायक कृषको की भूमि पर निर्माण के लिए विभिन्न चरणो का निरीक्षण कर एफ्टीओ कराने के लिए मांग पत्र प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।हितग्राही कूप निर्माण के लिए स्थल का चयन अपनी पसंद के अनुसार कर सकेगा तथा अपने कार्य के लिए मेट का कार्य भी स्वयं कर सकेगा।

ग्राम का कोई भी अनुभवी व्यक्ति अथवा मिस्त्री हितग्राही के साथ मिलकर ले–आउट दे सकेगा तथा इसके लिए उपयंत्री अथवा किसी अन्य तकनीकी अधिकारी के लिए हितग्राही को भटकना नही पडेगा। –

मुख्यमंत्री श्री चौहान एकता परिषद के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए

वन क्षेत्र में सामुदायिक दावों का होगा परीक्षण

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वन क्षेत्र में सामुदायिक दावों का परीक्षण करवाया जायेगा। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। आगामी 14 अप्रैल से 31 मई तक ग्रामोदय अभियान चलेगा। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीणजन को चिन्हित कर लाभान्वित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वनाधिकार पट्टे 2.32 लाख परिवारों को दिये गये हैं। कोई पात्र व्यक्ति छूटे नहीं, इसी मंशा से दावों का परीक्षण एक बार फिर करवाया जायेगा। श्री चौहान गांधी भवन प्रांगण में एकता परिषद के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश संभवतया पहला राज्य होगा जहाँ सब के पास रहने लायक भूमि होगी। शहरी क्षेत्र में भूमि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए बहुमंजिले भवनों में आवास उपलब्ध करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग बरसों से जिस स्थान पर रह रहे हैं उनको पट्टे दिये गये हैं। पिछले एक वर्ष में 5 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। यह कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक सबको पट्टे मिल नहीं जाये। इस संबंध में कानून भी विधान सभा के सत्र में लाया जायेगा।

उन्होंने कहा कि भू-अधिकार आयोग में स्वैच्छिक सेवा संगठनों को प्रतिनिधित्व देने पर भी विचार किया जायेगा। उन्होंने भूमि के अधिकार के साथ ही शिक्षा की महत्ता पर भी बल दिया। मेधावी बच्चों के लिये उच्च शिक्षा की फीस सरकार द्वारा भरवाने की योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5 लाख परिवारों को इस वर्ष मकान उपलब्ध करवाये जायेंगे।

इस अवसर पर समन्वयक एकता परिषद श्री ओ. राजगोपाल ने लोक सेवा गारंटी कानून, भूमि आयोग और आनंद विभाग के गठन के लिये बधाई दी। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के 20 जिलों के परिषद के मुखिया शामिल हो रहे हैं।

खरीफ 2015 की क्षतिग्रस्त फसलों के लिए किसानों को बीमा दावा राशि का वितरण

20 लाख से अधिक किसान के खाते में पहुँचे 4416 करोड़ रुपये

भोपाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश की अब तक की सबसे बड़ी बीमा दावा राशि में मध्यप्रदेश के सवा लाख किसान और लाभान्वित होंगे। इन किसानों को 244 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि वितरित की जायेगी। इसके पहले प्रदेश के 20 लाख 46हजार किसान को 4416करोड़ की बीमा दावा राशि दिसम्बर माह में वितरित की जा चुकी है। अब तक प्रदेश में योजना में 21 लाख 71 हजार किसान को 4660 करोड़ रुपये दावा राशि के रूप में मिले हैं। यह राशि खरीफ-2015 में अति-वृष्टि और ओला-वृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के एवज में किसानों को दी गयी है।

योजना में जुड़े अतिरिक्त सवा लाख किसानों को मिलने वाली बीमा दावा राशि 244 करोड़ रुपये आज सभी संबंधित बैंक की शाखाओं को जारी कर दी गयी है। अगले एक सप्ताह में यह राशि किसानों के खाते में समायोजित कर दी जायेगी। इस बीमा दावा राशि में राज्य सरकार ने अपनी ओर से 122 करोड़ रुपये दिये हैं। इसके पहले सरकार ने 4416करोड़ बीमा दावा राशि में अपनी ओर से 2208रुपये का अंश दिया था।

खरीफ-2015 में प्रभावित ऐसे किसान, जो बीमा राशि मिलने से छूट गये थे, को शामिल करने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष पहल की थी। उनके निर्देश पर पुनः उन प्रकरणों की विवेचना की गयी, जो लाभान्वित होने से छूट गये थे।

अतिरिक्त दावा राशि में सबसे अधिक राशि खण्डवा जिले के 35 हजार 550 किसान को 76करोड़ 67 लाख, बैतूल जिले के 26हजार 129 किसान को 55 करोड़ 39 लाख, राजगढ़ जिले के 13 हजार 369 किसान को 16करोड़ 57 लाख, छतरपुर जिले के 5379 किसान को 5 करोड़ 36लाख, हरदा जिले के 7000 किसान को 16करोड़ 56लाख, सागर जिले के 9650 किसान को 16करोड़ 11 लाख, उ%जैन जिले के 2944 किसान को 11 करोड़ 54 लाख और विदिशा के 1198किसान को 3 करोड़ 85 लाख रुपये की दावा राशि जारी की गयी है।

लाभान्वित किसानों में एक लाख 15 हजार 438किसान सोयाबीन, 3263 किसान मक्का, 2419 किसान धान, 1698 किसान मूँगफली और 850 किसान तुअर दाल की क्षति वाले शामिल हैं।

3062 हेक्टेयर में उच्च गुणवत्ता के फल-पौधों का रोपण

भोपाल। प्रदेश में किसानों की आमदनी वर्ष 2022 तक प्रति हेक्टेयर दोगुनी करने के मकसद से नर्मदा नदी के दोनों तटों पर एक-एक किलोमीटर की पट्टी तक निजी भूमि पर फल पौध-रोपण की योजना 16जिलों में शुरू की गयी है।

योजना के पहले साल वर्ष 2016-17 में 5000 हेक्टेयर में फलदार पौध-रोपण का कार्यक्रम तैयार किया गया है।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल

(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण के आयोजन सफल और सार्थक कैसे बनें

– यशोवर्धन पाठक
प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र हनुमानताल, जबलपुर (म0प्र0)

प्रशिक्षक सहकारिता में नवाचार के संबंध में प्रशिक्षण का यदि एक विकसित वातावरण तैयार कर सकते हैं तो वहीं जनमानस से भी यह अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि नवीन उद्देश्यों और कार्यों के लिये वे विशिष्ट सहकारी समितियों के संबंध में अपनी सकिय भूमिका निभायें और सहकारी प्रशिक्षकों को यथा संभव सहयोग दें तभी सहकारी प्रशिक्षण शिविरों के सफल और सार्थक आयोजन संभव हो पायेंगे।

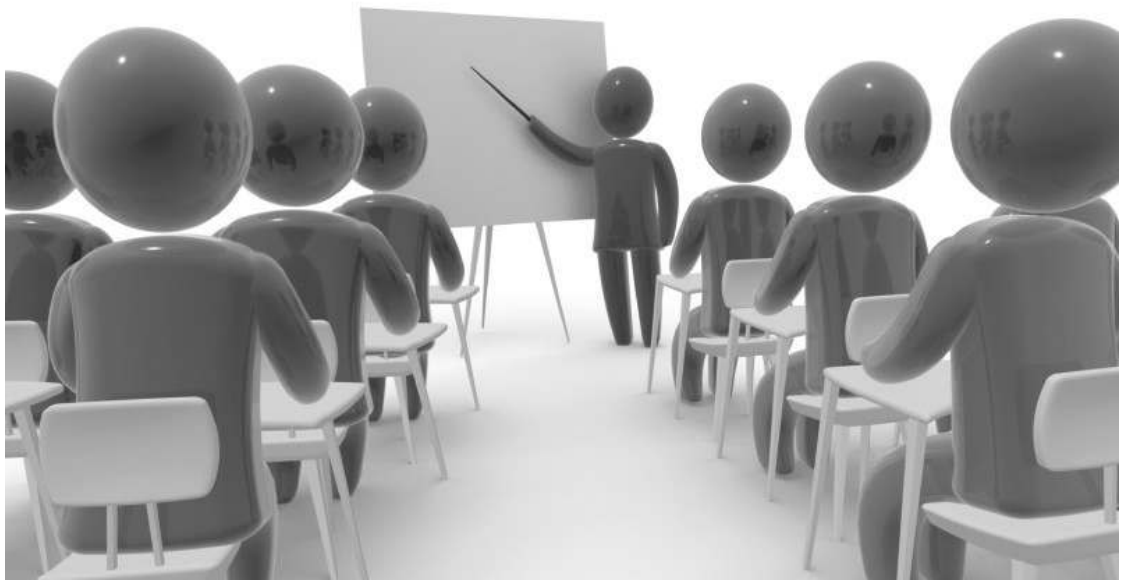

आज जब सहकारी आल्दोलन निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है तब यह जरूरी है कि सहकारी आन्दोलन के विकासशील होने के साथ ही इसकी समस्त गतिविधियों की जानकारी विस्तार से जनसाधारण को उपलब्ध हो, क्योंकि जब तक इसकी जानकारी लोगों को नहीं मिलेगी तब तक सहकारिता का विकास कुछ लोगों तक ही सीमित होकर रह जायेगा और जनसाधारण सहकारिता से मिलने वाली सुविधाओं से अनभिज्ञ व वंचित रहेगा। अतः आवश्यक है कि सहकारिता के प्रचार की दृष्टि से सहकारी प्रशिक्षण के लिये विशेष प्रयास किये जायें।

आज सहकारी प्रशिक्षण गतिविधियों का विकास जहां नगरीय स्तर पर आवश्यक है उतना ही आवश्यक ग्रामीण स्तर पर भी है।, वरन् ग्रामीण अंचलों में सहकारी प्रशिक्षण का विकास अधिक आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर विभिन्न सहकारी समितियों का गठन होना एक अलग बात है और समितियों के कियाकलापों के विषय में लोगों को जानकारी होना दूसरी बात है। अगर गांव के लोगों को सहकारी समितियों की विभिन्न गतिविधियों और नियमों के बारे में नहीं मालूम है तो सहकारी समितियों के कियाकलाप उनके लिये लाभदायक सिद्ध नहीं होंगे। सहकारी शिक्षा के बिना ऐसी ही स्थिति नगरों में भी निर्मित होती है। इस दृष्टिकोण से आज सहकारी प्रशिक्षण का व्यापक रूप से विकास होना अति–आवश्यक है।

सहकारी आन्दोलन की विभिन्न विकासशील गतिविधियों के प्रचार – प्रसार में भी सहकारी शिक्षा–प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न सहकारी बैंकों व सहकारी समितियों के कियाकलापों व अधिनियमों के बारे में सहकारी प्रशिक्षक विस्तार पूर्वक बताते हैं जैसे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक किसानों के कार्य में किस प्रकार लाभदायक हो सकते हैं। उपभोक्ता भंडारों से उपभोक्ताओं को क्या सुविधायें हैं? विपणन सहकारी समितियां किसानों के लिये किस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं? सहकारी आंदोलन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या भूमिका है? सहकारिता के माध्यम से गृह निर्माण सहकारी समितियों के क्या दायित्व है? इसी के साथ लघु व कुटीर उद्योगों से संबंधित सहकारी समितियों के कार्य क्या हैं? ये सभी उपरोक्त व उपयोगी जानकारी लोगों को सहकारी प्रशिक्षण के दौरान ही मिल सकती है।

आज देखा जा सकता है कि व्यापक रूप से सहकारी आन्दोलन का विकास हो रहा है। चारों ओर अधिकाधिक संख्या में विभिन्न उद्देश्यों को लेकर सहकारी समितियां गठित हो रहीं हैं। उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रहीं है। और इसको दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि समितियों का नेतृत्व व प्रतिनिधित्व करने वाले समितियों के सदस्यों व पदाधिकारियों को समिति के उद्देश्यों व महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक मालूम हो। सहकारी समितियों के कुशल नेतृत्व व सफल संचालन के लिये ये जानकारी होना आज अति–आवश्यक है।

ये सभी जानते हैं कि सहकारी समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने का दायित्व सहकारी प्रशिक्षक का है पर सहकारी प्रशिक्षण को भी अपने कर्त्तव्यों व दायित्वों के पालन में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर देखा जाता है कि सहकारी प्रशिक्षक पूरी तैयारी के साथ प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं पर समितियों के अधिकांश सदस्य व पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविरों में उपस्थित ही नहीं होते और मान लीजिये कि अगर सदस्य प्रशिक्षक की अनुनय–विनय के पश्चात् शिविर में उपस्थित हो भी गये तो सहकारी प्रशिक्षण में रूचि नहीं लेते और ऐसे में वे जहां एक और सहकारिता की ज्ञानवर्धक जानकारी से वंचित रह जाते हैं और वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षक का उत्साह भी ठंडा पड़ जाता है। सदस्यों के सक्रिय सहयोग के अभाव में प्रशिक्षक द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर निर्रथक होकर रह जाते हैं।

सहकारी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण शिविरों की सफलता के लिये ग्रामीण स्तर पर व जिला स्तर पर जिले के विभिन्न सहकारी संगठनों व सहकारी बैंकों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ही सहकारी आन्दोलन की समस्त गतिविधियों का प्रचार करते हैं। अतः आवश्यक है कि सहकारी आन्दोलन से सम्बद्ध सहकारी संस्थायें व सहकारी बैंक सहकारी प्रशिक्षण शिविरों में सहयोग देने के लिये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दें। जिलों के सहायक पंजीयक व उप–पंजीयक द्वारा सहकारी समितियों को खंड विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम सेवकों को व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की ओर से समिति सेवकों को निर्देश देने चाहिए कि वे प्रशिक्षण शिविर में सहयोग प्रदान करें। इस प्रकार प्रशिक्षण शिविर संचालित करने में प्रशिक्षकों को सुविधा होगी और यह महत्वपूर्ण कार्य सरल भी हो जायेगा।

आज जबकि सहकारिता जनकल्याण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है ऐसी स्थिति में समाज के लिये सहकारी आंदोलन की कल्याणकारी योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी होना आवश्यक है जो कि उसे सहकारी प्रशिक्षण के माध्यम से ही मिल सकती है, पर सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता सहकारी संगठनों पर निर्भर है और इसी के साथ जन सहयोग भी आवश्यक है। जब तक जनता की रूचि और उत्साह शिविरों के प्रति नहीं होगी तब तक सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता संदिग्ध है।

सहकारिता में नवाचार के अन्तर्गत नवीन उद्देश्यों को लेकर आज प्रदेश में विभिन्न सहकारी समितियों का गठन व्यापक रूप से हो रहा है और इसके पक्ष में एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। सहकारिता में नवाचार के स्वरूप और प्रत्येक क्षेत्र में सहकारी समितियों के गठन को लेकर सहकारी क्षेत्र में ज्ञान वृद्धि के संबंध में आज सहकारी प्रशिक्षण की अति आवश्यकता है। आज जहां प्रशिक्षक सहकारिता में नवाचार के संबंध में प्रशिक्षण का यदि एक विकसित वातावरण तैयार कर सकते हैं तो वहीं जनमानस से भी यह अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि नवीन उद्देश्यों और कार्यों के लिये वे विशिष्ट सहकारी समितियों के संबंध में अपनी सकिय भूमिका निभायें और सहकारी प्रशिक्षकों को यथा संभव सहयोग दें तभी सहकारी प्रशिक्षण शिविरों के सफल और सार्थक आयोजन संभव हो पायेंगे।

शासकीय योजनाओं में एक ही दिन 12 लाख से अधिक हितग्राही लाभांन्वित होने का रिकार्ड

नगरीय विकास की विभिन्न योजनाओं के लिये 30 हजार करोड़ स्वीकृत

भोपाल। प्रदेश के इतिहास में और संभवतया देश में पहली बार शासकीय योजनाओं का एक ही दिन में एक साथ 12 लाख 68हजार पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करने का रिकार्ड 8फरवरी को नगर उदय अभियान में दर्ज किया गया। इस दिन पूरे प्रदेश में 25 दिसंबर से 5 फरवरी, 2017 के मध्य 3 चरण में चले अभियान में कार्यक्रम आयोजित किये गये। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने हितग्राहियों को योजनाओं के स्वीकृति पत्र सौंपे। यह जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने दी।

मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बताया कि नगर उदय अभियान का उद्देश्य नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के मूल्यांकन के साथ ही नगरीय क्षेत्रों के लिये शासन की योजनाओं के प्रत्येक पात्र हितग्राही का चिन्हांकन करना था। साथ ही उनके पास जाकर उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाना था। इसके लिये पूरे प्रदेश में 6हजार 28दलों का गठन किया गया और 7 हजार 286वार्ड सभा के जरिये हितग्राहियों तथा नगरीय सेवाओं की जरूरत तथा उनका मूल्यांकन किया गया।

अभियान के दौरान रीवा और शहडोल संभाग में 2 लाख 6 हजार लाभांवित हुए। जबलपुर संभाग में एक लाख 71 हजार, उज्जैन संभाग में 80 हजार, भोपाल-नर्मदापुरम संभाग में 2 लाख 88 हजार, सागर संभाग में एक लाख 52 हजार, इंदौर संभाग में एक लाख 80 हजार और ग्वालियर संभाग में एक लाख 71 हजार हितग्राहियों को लाभांवित किया गया।

अभियान में हाथठेला तथा रिक्शा चालक योजना में 22 हजार 885, पथ पर विक्रय करने वालों की कल्याण योजना में 19 हजार 472, केश शिल्पी कल्याण योजना में 5 हजार 29, शहरी घरेलू कामकाजी महिला योजना में 44 हजार 439, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 41 हजार 304, विभिन्न योजनाओं में शहरी गरीबों को आवास में 2 लाख 80 हजार 461, लाड़ली लक्ष्मी योजना में 7,558, मुख्यमंत्री शहरी स्व-रोजगार योजना में 7,245, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 28हजार 885, मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में 1806, मुख्यमंत्री भवन कर्मकार कल्याण मण्डल योजना में 48हजार 605, लोक सेवा प्रदाय गारंटी योजना में 26हजार 990, स्कूल चले हम अभियान में 7,222, मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना में 3215, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 39 हजार 477, गरीबी रेखा में 17 हजार 5 लोगों के नाम जोड़े गये, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना में 688, पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण 15 हजार 936, व्यक्तिगत शौचालय आधिपत्य पत्र 3 लाख 29 हजार 151 को और अटल पेंशन योजना में 45 हजार 528हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र दिये गये।

अभियान के दौरान नगरों के सर्वांगीण विकास के लिये सभी पहलुओं पर काम शुरू किया गया। इनमें शहरी गरीबों की आजीविका के लिये समावेशी विकास, शहरी पेयजल, शहरी स्वच्छता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी सीवेज, हरित क्षेत्र की स्थापना, सड़क तथा अधोसंरचना विकास, शहरी गरीबों को आवास, शहरी यातायात, अग्निशमन सेवा, ई तथा मोबाईल गवर्नेंस, वित्तीय एवं प्रशासनिक शहरी सुधार, स्मार्ट सिटी, कौशल विकास शिक्षा और नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिये कानूनों में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

अभियान में नगरीय विकास की विभिन्न योजनाओं के लिये 30 हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। इसमें 200 निकायों में शहरी पेयजल आवर्धन योजना में 6191 करोड़ 49 लाख, 40 नगरीय निकाय की सीवरेज परियोजना के लिये 3227 करोड़ 86 लाख, स्वच्छता के लिये 6 क्लस्टर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये 1640 करोड़, भोपाल-इंदौर-जबलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के लिये 1963 करोड़, 105 निकायों में 2 लाख 35 हजार आवासीय इकाई निर्माण के लिये 1599 करोड़ 80 लाख , शहरी यातायात में हब एण्ड स्पोक मॉडल में 20 शहर के क्लस्टर में 2100 बस के लिये 450 करोड़, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के द्वितीय चरण के लिये 378नगरीय निकायों को 1107 करोड़ तथा शहरी सुधार योजना में ई-नगर पालिका तथा ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लॉन एप्रूवल सिस्टम के लिये 260 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये।

कृषकों को मिलेगा डीजल/विद्युत पंप खरीदने पर मिलेगा अनुदान

सिवनी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत सिवनी जिले का सिंचाई क्षेत्र बढाने की दृष्टि से अनुदान दर डीजल/विद्युत पंप सेट का वितरण पर ड्राप मोर क्राम घटक के उपघटक इंटरवेन्शन्स अंतर्गत किया जाना है। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के कृषकों एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता के साथ जिन्होंने कपिलधारा योजनान्तर्गत कूप खनन करवाया हो। इस योजना में कृषकों का चयन पूर्व से प्रचलित ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से होगा। अनुदान की पार्तता हेतु कृषक के पास सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध एवं निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर होना आवश्यक है। स्वीकृत योजना अनुसार पंप सेट 5 से 1 हार्सपावर की लागत का 5 प्रतिशत या अधिकतम 1 हजार रूपये प्रति जो कम हो, अनुदान देय होगा। कृषक को पंप सेट के मॉडल चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। कृषक डीजल पंप विभाग में पंजीकृत निजी निर्माताओं, म.प्र. राज्य विपणन संघ एवं म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम से क्रय कर सकता है।

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में सहायता राशि बढ़ी

छिन्दवाडा। राज्य शासन के कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत मृत्यु होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन कर सहायता राशि बढ़ा दी गई हैं। इस योजना के अंतर्गत अब 24 जनवरी 2017 से एक लाख रूपये के स्थान पर 4 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की जायेगी। कलेक्टर श्री जे.के.जैन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के साथ ही उप संचालक कृषि, सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों और कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों को निर्देश दिये गये हैं कि संशोधित आदेश के अनुसार घटित राहत प्रकरणों में पीड़ित हितग्राहियों को राहत दिये जाने के संबंध में समुचित कार्यवाही करें तथा संशोधित राहत राशि का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

नेफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर तुवर की खरीदी प्रारंभ

खण्डवा। नेफेड द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के अन्तर्गत खरीफ सीजन 2016-17 की नई फसल की तुवर/अरहर की खरीदी कृषकों से समर्थन मूल्य रूपये 4625 एवं बोनस रूपये 425 कुल रूपये 5050 प्रति क्विंटल के भाव पर कृषि उपज मंडी, पुरानी अनाज मंडी प्रागंण, खण्डवा एवं कृषि उपज मंडी, हरसूद में दिनांक 20 फरवरी से प्रारंभ की गई है। कृषक भाइयों से अपील की है कि वे अपनी तुवर/अरहर फसल को साफ कर एवं सुखाकर एफए.क्यू. मापदण्डो के अनुसार मण्डी में निर्धारित प्रपत्रों के साथ लाए एवं अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर योजना का लाभ उठायें। जिला विपणन अधिकारी ने ऋण पुस्तिका की मूलप्रति के साथ (एक छायाप्रति), बैंक खाते की पास बुक आईएफसी कोड के साथ (एक छायाप्रति), किसान का परिचय पत्र-वोटर कार्ड, आधार कार्ड एवं तुवर का बोया गया रकबा आदि दस्तावेज साथ लाने को कहा।

प्रदेश में गेहूँ उपार्जन की तैयारियों की संभाग-स्तर पर होगी समीक्षा

गेहूँ उपार्जन की कार्य-योजना एवं समय-सीमा तय

भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2017-18में गेहूँ उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा संभाग-स्तर पर की जायेगी। इसके लिये तिथियाँ तय कर ली गयी हैं। समीक्षा बैठक में किसान पंजीयन, किसानों के सत्यापन की स्थिति, गेहूँ की तहसीलवार उत्पादकता, खरीदी केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं पर मुख्य रूप से चर्चा की जायेगी। इसके अलावा गेहूँ के भण्डारण, खरीदी केन्द्र एवं गोदामों की मेपिंग की भी समीक्षा होगी। खरीदी के दौरान परिवहन की व्यवस्था एवं साख-सीमा स्वीकृति की स्थिति पर विशेष चर्चा की जायेगी।

संभाग-स्तरीय बैठक में जिला कलेक्टर्स, जिलों में पदस्थ भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी, खाद्य, सहकारिता, नाप-तौल, मार्कफेड, मध्यप्रदेश वेयर-हाउसिंग कॉर्पोरेशन और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। संभाग-स्तरीय बैठक सागर में 25 फरवरी को और जबलपुर में 28फरवरी को होगी। सतना में एक मार्च को रीवा एवं शहडोल संभाग की, ग्वालियर में 4 मार्च को चम्बल संभाग की, इंदौर में 7 मार्च को, उज्जैन में 8 मार्च को, भोपाल में 15 मार्च को और नर्मदापुरम संभाग की 16 मार्च को होशंगाबाद में बैठक होगी।

प्रदेश में टेक्सटाईल क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिये अनुदान

भोपाल।प्रदेश में टेक्सटाईल क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिये विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की वस्त्र उद्योग इकाइयों को टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम में संयंत्र और मशीनरी में एक करोड रुपये तक और पात्र निवेश का 10 प्रतिशत निवेश अनुदान दिया जायेगा। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग वस्त्र उद्योग इकाइयों को ब्याज अनुदान भी देगा।

40 से अधिक कम्बाइन हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एवं लेजर लेवेलर्स जैसे आधुनिक यंत्र प्रदर्शित

आईटीसी चौपाल पर किसानों का सम्मेलन आयोजित

उज्जैन। नए युग की कृषि सेवा कम्पनी, ईएम3 एग्री सर्विसेस ने परम्परागत धारणा को तोड़ते हुए किसानों की कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये किसान समुदाय हेतु भुगतान आधारित तकनीक और मशीनीकरण की सेवाओं का प्रदर्शन किया। कम्पनी द्वारा आज प्रदेश के किसानों के लिये आईटीसी चौपाल पर कटाई के इस मौसम के आधुनिक कृषि उपकरण पेश किए गए। सैकड़ों स्थानीय किसानों की मौजूदगी में 40 से अधिक हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, टिलिंग मशीन, लेजर लेवेलर्स एवं थ्रेसिंग मशीन प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संभागायुक्त डॉ.रवीन्द्र पस्तोर मौजूद थे।

ईएम3 मध्यप्रदेश में जुलाई 2014 से समाधान केन्द्र नामक कृषि केन्द्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से अपना कार्य संचालन कर रही है। इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रबंधित प्रत्येक समाधान केन्द्र कृषि विशेषज्ञों द्वारा बुनियादी और सटीक कृषि कार्यों के एक व्यापक प्रबंधन और सक्षम प्रणाली–संचयन, फसल कटाई के बाद भूमि प्रबंधन, भूमि की तैयारी, बुआई और फसल प्रबंधन आदि से सुसज्जित है।

संभागायुक्त डॉ.रवीन्द्र पस्तोर ने इस अवसर पर कहा कि प्रारंभ में कृषि केवल घरों में स्वयं के उपभोग के लिये की जाती थी और घर खर्च के अलावा बचा हुआ माल बाजार में बेच दिया जाता था। कृषि का समय के साथ विकास होता रहा है और अब किसान बैंकों से ऋण लेकर भी कृषि कार्य करते हैं, फिर भी भारत में प्रति हेक्टर कृषि उत्पादन अभी भी काफी कम है। कृषि मजदूरी की दरें भी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। निजी कंपनियों को छोटे किसानों को महंगी मशीनें एक उचित कीमत पर उपलब्ध करवाकर उनकी मदद करना चाहिये।

इस अवसर पर ईएम3 एग्री सर्विसेस के अध्यक्ष रोहताश माल बताया कि ''ईएम3 पर हमारा आदर्श वाक्य है, 'स्मार्ट भारत का स्मार्ट किसान' और हम मध्यप्रदेश में कुछ वर्षों से इस ओर हुई प्रगति को देखकर खुश हैं ! प्रौद्योगिकी के कम इस्तेमाल के साथ देश में अधिकांश कृषि पद्धतियाँ अभी भी सदियों पुरानी तकनीक के अनुरूप ही है। कृषि मजदूरो की कमी और उपकरणों की उच्च लागत को देखते हुए कृषि उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में मशीनीकरण कृषि क्षेत्र में अत्यधिक महत्व रखता है। फसल काटने के बाद बची खूंटियों को जलाने की प्रचलित प्रथाओं के नकारात्मक प्रभाव आज हमें नजर आ रहे हैं, जो अब कृषि समुदायों और सरकारों के लिए एक प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। सरकार के साथ काम करते हुए, हमारा इरादा आधुनिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना और एक ही समय पर टिकाऊ खेती के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाकर किसानों की समृद्धि पर सकरात्मक प्रभाव डाला जा सके है।'' उल्लेखनीय है कि ईएम3 मध्यप्रदेश में वर्तमान में 10 समाधान केन्द्रों और 150 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के माध्यम से मौजूद है। प्रत्येक केन्द्र मजबूत आईटी सक्षम सिस्टम और कृषि प्रौद्योगिकी पेशेवरों के द्वारा संचालित है। गुजरात में ईएम3 आलू उत्पादक किसानों के साथ बहुराष्ट्रीय मैक्केन फूड्स (इंडिया), फ्रेंच फ्राइज और आलू विशेषता के एक निर्माता के साथ साझेदारी में काम कर रहा है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए संभाग में उद्यानिकी का रकबा बढ़ाएं - संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव

भोपाल ।संभागायुक्त श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव ने संभाग के सभी जिलों के उद्यानिकी एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लायें तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए संभाग में उद्यानिकी का रकबा बढ़ाएं उन्होंने संभागायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में गत दिवस आयोजित बैठक में संभाग के विभिन्न जिलों में कृषि विकास योजनाओं की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता जाहिर की तथा सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे हर माह अपने जिलों में कृषि विकास एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की नियमित रूप से बैठक लेकर समीक्षा करें ।

संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने कहा कि राजगढ़ जिले में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है यहां संतरा व मौसबीं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है । यहां के किसानों को यदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें तो अ%छे परिणाम सामने आ सकते हैं । उन्होंने भोपाल संभाग के सभी जिलों में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए । उन्होंने फल प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के संबंध में कहा कि ऐसी इकाईयों की स्थापना से फल उत्पादक किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा ।इसके लिए राजगढ़ जिले में चिन्हित क्षेत्रों में किसानों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता भी उन्होंने बताई और कहा कि वैज्ञानिक तरीके अपनाकर उद्यानिकी फसलों का उत्पादन और अधिक बढ़ाया जा सकता है । उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति, स्प्रिंकलर यूनिट, पालीहाउस, मल्चिंग तकनीक का प्रचार प्रसार किया जाए तथा लक्ष्य अनुसार इच्छुक किसानों के प्रकरण तैयार कर उन्हें इनके लिए मदद दिलाई जाये।

बैठक में संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने संभाग के सभी जिलों के उप संचालक कृषि को निर्देश दिए कि वे अगले पांच वर्षों का रोडमेप तैयार कर तय कार्ययोजना अनुसार कार्य करें तथा प्रयास करें कि अगले पांच वर्षों में किसानों की आय बढ़कर दुगुनी हो जाये । समीक्षा के दौरान पाया गया कि सीहोर जिले में मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने, कृषि यंत्रों का प्रयोग तथा गेहूँ बीज प्रमाणीकरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है, रायसेन जिले में स्प्रिंकलर व डीजल तथा विद्युत सिंचाई पम्पों के प्रयोग में आशानुरूप सुधार नहीं हो रहा है । उन्होंने सभी उप संचालक कृषि को स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए ।

संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा को निर्देश दिए कि दुधारू पशुओं के दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्ययोजना तैयार कर उसे लागू करें। उन्होंने संयुक्त संचालक मत्स्य विकास को संभाग के सभीजिलों में जहां बांधों में गर्मियों में भी पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है वहां केज कल्चर लगाने की व्यवस्था कर मत्स्य उत्पादन बढ़ायें । उन्होंने कृषि अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निजी कस्टम हायरिंग केन्द्रों के संचालन की व्यवस्था संभाग के सभी जिलों में सुधारने के निर्देश दिए ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश अव्वल

भोपाल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत की गई 74 हजार 915 किलोमीटर में से 63 हजार 212 किलोमीटर ग्राम सड़क पूर्ण की गई। इस पर स्वीकृति राशि रूपये 22 हजार 871 करोड़ में से राशि रूपये 17 हजार 432 करोड़ का व्यय किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और बिहार प्रदेशों की तुलना में ग्राम सड़क निर्माण और इस पर हुए व्यय की स्थिति अनुसार देश में इस क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अव्वल है। इस योजना के अंतर्गत एडीबी के सहायता से मार्गों की स्वीकृतियाँ प्राप्त की गई हैं। एडीबी द्वारा इन मार्गो के निर्माण एवं गुणवत्ता के लिये प्रदेश को **रूरल रोड प्रोजेक्ट** में पुरस्कृत कर सराहना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित मार्गो के संधारण के लिये रा%य को राष्ट्रीय स्तर पर **सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2016** से सम्मानित किया गया है।देश स्तर पर इस संधारण नीति की सराहना की गई है।

प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण के लिए नुकसान पहुँचाने वाले प्लास्टिक कचरे का उपयोग करते हुए मार्गो का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रदेश प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने की दृष्टि से सबसे सफलतम प्रयोग कर स्वच्छ भारत मिशन में चल रहे कार्यक्रम में अहम भूमिका अदा कर रहा है। अभी तक लगभग 1600 कि.मी. मार्ग के निर्माण में 800 टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया गया है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना में विगत 11 वर्षों (अप्रैल 2005 से मार्च 2016) के दौरान 15 हजार 424 मार्गों (लंबाई 61 हजार 235 कि.मी.) के निर्माण पर रूपये 19 हजार 362 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई है। प्रदेश के 313 विकासखण्डों में से श्येड्यूलल–5 में शामिल 88 विकासखण्डों में योजना के क्रियान्वयन के लिये दिशा–निर्देश के तहत 250 आबादी के संपर्कविहीन बसाहटों को संपर्क सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से चयनित सभी पात्र बसाहटों के लिये मार्गो का निर्माण किया गया है। इससे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के समुदाय बड़ी संख्या में लाभान्वित हुए हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित मार्गो से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार तथा विशेषकर कृषि संबंधित सुविधाओं में अत्याधिक वृद्धि देखी गई है। कृषक अपने कृषि उत्पादों को सीधे कृषि उपज मंडी में ले जाकर विक्रय कर लाभ प्राप्त कर रहा है। इस सुविधा से विचौलियों से छुटकारा तथा ग्रामीण जनता के पलायन में सर्वाधिक कमी देखी गई है। इन मार्गो के निर्माण से प्रदेश के ग्रामीणजनों का जीवन सुगम एवं सरल होने के साथ ही जीवन–स्तर में भी सुधार होने से आर्थिक विकास में भी वृद्धि हुई है।

भण्डारण केन्द्र पर समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उपार्जन और भंडारण की नीति तय

भोपाल। खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा रबी विपणन वर्ष 2017-18में समर्थन मूल्य पर गेहूँ का भंडारण केन्द्रों पर ही उपार्जन करने का तय किया गया है। शुरूआत में ऐसे उपार्जन केन्द्र जो भण्डारण केन्द्र के नजदीक हैं और जिनके गोडाउन परिसर में शिफ्ट करने पर किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, को लिया जायेगा। इस संबंध में उपार्जन केन्द्र और गोडाउन की मेपिंग करने के लिये कलेक्टर्स को कहा गया है। विभाग द्वारा गोदाम स्तर पर इस वर्ष 404 उपार्जन केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

विभाग द्वारा कलेक्टर्स को कहा गया है कि परिवहन व्यय में बचत और गेहूँ की गुणवत्ता में अधिक सुधार करने के उद्देश्य से गोदाम-स्तर पर गेहूँ उपार्जन करने का निर्णय लिया गया है। सभी कलेक्टर अपने जिले में भंडारण की कुल क्षमता और गेहूँ के उपार्जन के लक्ष्य को ध्यान में रख खरीदी केन्द्र से गोदामों की मेपिंग करेंगे। जहाँ पर गोदाम पर खरीदी केन्द्र बनाये जा सकते है वहाँ पर अधिकतम 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित समितियों को सम्बद्ध किया जायेगा।

भंडारण व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि स्ट्रील सायलो में भी खरीदी केन्द्र स्थापित कर गेहूँ का उपार्जन और भंडारण करवाया जाये। स्टील सायलो में 15 किलोमीटर की परिधि में समितियों से पूर्ण सायलो का भंडारण नहीं हो पाता है तो जिला समिति अन्य समितियों को सम्बद्ध करने के लिये युक्ति संगत प्रस्ताव देगी।

कलेक्टर्स को कहा गया है कि गोदाम में खरीदी केन्द्र स्थापित करने के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित शासकीय गोदामों का समूह बनाया जाये और उनकी मेपिंग की जाये। इस व्यवस्था के बाद भी अतिरिक्त भंडारण क्षमता की आवश्यकता है तो निजी गोडाउन जो डब्ल्यू.डी.आर.ए. से पंजीकृत हैं अथवा प्रदेश शासन स्तर से वेयरहाउस लायसेंसधारी गोदाम संचालक से निर्धारित सुविधाओं के परीक्षण के बाद ही खरीदी केन्द्र स्थापित किये जाये।

यह स्पष्ट किया गया है कि गोदाम की भंडारण क्षमता 2000 मीट्रिक टन होना चाहिये। गोदाम परिसर में तुलाई-भराई, पैकिंग और वाहन पार्किंग के लिये खाली जगह हो। गोदाम परिसर तक आने-जाने का बारहमासी सड़क होना चाहिये। गोदाम परिसर में अन्य व्यवस्थाओं के साथ कार्यालय कक्ष कम्प्यूटर और इन्टरनेट की सुविधाओं से लैस होना चाहिये, गोदाम में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे होना चाहिये। इन तमाम सुविधाओं के होने पर जिला स्तर पर गठित कमेटी ऐसे निजी गोदाम संचालक जो ज्वाईंट वेंचर स्कीम के तहत उपार्जन केन्द्र स्थापित करने की सहमति देता है उस पर विचार किया जायेगा। विभाग द्वारा सभी कलेक्टर को गोदाम स्तर पर खरीदी केन्द्र स्थापित करने का न्यूनतम लक्ष्य दिया गया है।

आयुक्त खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि वे रबी फसल उपार्जन के लिये की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लेने संभाग स्तर पर समीक्षा बैठक करेंगे। सभी संभाग के कलेक्टर्स और संबंधित अधिकारियों को बैठक की तारीख बता दी गई है। बैठक में किसानों की पंजीयन की स्थिति, गेहूँ के रकबे की स्थिति, खरीदी केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं को करने के संबंध में की गई कार्यवाही उपार्जन केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक तौल काँटे आदि की व्यवस्था की भी समीक्षा होगी। बैठक में गेहूँ के भंडारण और एफएक्यू गुणवत्ता गेहूँ का उपार्जन करने के लिये आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की जायेगी।

संभागीय समीक्षा बैठक 25 फरवरी को सागर और 28फरवरी को जबलपुर कलेक्ट्रेट में होगी। सतना कलेक्ट्रेट में रीवा और शहडोल संभाग की एक मार्च को, ग्वालियर कलेक्ट्रेट सभागार में, ग्वालियर और चम्बर संभाग की बैठक 4 मार्च को होगी। इन्दौर में 7, उज्जैन में 8, भोपाल में 15 और होशंगाबाद कलेक्ट्रेट में 16मार्च को समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा होगी।

राज्य शासन ने भंडारण की नीति जारी कर दी है। इसमें खाद्य निगम द्वारा सीधे उपार्जन केन्द्रों से गोदाम में भंडारण किया जायेगा। प्राथमिकता में यह सबसे पहला क्रम होगा। इसके बाद उपार्जन केन्द्रों और मंडियों से भारतीय खाद्य निगम सीधे गेहूँ प्राप्त करेगा। भारतीय खाद्य निगम द्वारा पीईजी गोदामों को मेपिंग में प्राथमिकता में लेकर इन गोदाम में उपार्जन केन्द्र खोले जाना है। सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा स्वयं के गोदामों की सूची के अनुसार प्राथमिकता तय कर उपार्जन केन्द्र खोले जायेंगे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को देखते हुए अधिक उपार्जन वाले जिलों से कम उपार्जन वाले जिलों के लिये कम से कम तीन माह की भंडारण व्यवस्था करने के लिये न्यूनतम दूरी और दर के आधार पर परिवहन योजना तैयार की जायेगी।

शिक्षा के प्रसार के लिए नोंटीराम बना मिसाल

बालाघाट। तहसील के ग्राम जागपुर के रहने वाले नोंटीराम के अपने कोई बच्चे नहीं है और न ही वह धन दौलत से सम्पन्न व्यक्ति है। इसके बाद भी उसके पास गरीब बच्चों की मदद करने का दिल है। नोंटीराम गांव के बच्चों को अपनी मजदूरी के पैसों से शिक्षण सामग्री देने में मदद कर रहे है। ऐसा वह पिछले 10 वर्षों सें कर रहे है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए नोंटीराम द्वारा एक नई मिसाल पेश की गई है।

45 वर्षीय नोन्टीराम बोहने की अपनी कोई संतान नहीं है। उसका पेशा मजदूरी करना है, जो प्रति दिन 200 रुपये तक कमा लेता है। घर का खर्चा चलाने के बाद जो भी बच जाता है उसे वह पिछले 10 वर्षों सें अपने गांव के प्राथमिक शाला के बच्चों को पेन-किताबें, टाई, बेल्ट, पाठ्य सहायक सामग्री, पंखा और जरूरत का दूसरा सामान का उपहार देने में खर्च कर रहा है। शिक्षा के प्रति एक मजदूर की ललक ने उसे गरीब बच्चों का मददगार बना दिया है।

बालाघाट का जिला प्रशासन अब उसे स्कूल चले हम अभियान का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे अन्य व्यक्तियों में भी मदद करने की भावना जागृत हों। खुद गरीबी में जिदंगी बसर कर दूसरों के मददगार बनें श्री नोन्टीराम बोहने की कोई संतान नही है और वह स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को अपनी संतान जैसा मानकर उनकी मदद कर रहा है। वह अपने काम से वक्त निकालकर स्कूल जाता है, न स्वयं पढ़ता है और न ही बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसे बच्चों को पढता हुआ देखकर बहुत संतुष्टि मिलती है। शिक्षा विभाग उसके कार्य को प्रेरणा के तौर पर जिले मे प्रसारित कर अन्य व्यक्तियों को शिक्षा के प्रति जागरूक तथा विद्यालय से जोडने का प्रयास कर रहा है। नोंटीराम आज 21 फरवरी को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई में आया था। कलेकटर ने उसे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बालाघाट एवं तहसीलदार बालाघाट को निर्देशित किया है।

मिट्टी के तेल की सब्सिडी भी अब सीधे बैंक खाते में जमा होगी

भोपाल। अब मिट्टी के तेल पर मिलने वाली सब्सिडी भी हितग्राही के सीधे बैंक खाते में जायेगी। इसके लिये सार्वजनिक उपभोक्ता प्रणाली के माध्यम से राशन दुकानों द्वारा मिट्टी का तेल क्रय करने वाले सभी उपभोक्ताओं से उनके बैंक खाते और मोबाइल की जानकारी माँगी गई है।

शासन द्वारा मिट्टी के तेल पर दी जा रही सब्सिडी की राशि अब सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये सभी पात्र हितग्राहियों से अनुरोध किया गया हैए कि वह अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर, बैंक खाता तथा परिवार के एक सदस्य के मोबाइल नम्बर की जानकारी समग्र पोर्टल पर अंकित करने हेतु अपने उचित मूल्य दुकानदार को आधार नम्बर तथा बैंक खाते की छायाप्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर (सेन्ट्रल रूल) 1956 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समाचार पाक्षिक के स्वामित्व तथा अन्य

विवरण संबंधित जानकारी

1.	प्रकाशन स्थल	: मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई-8/77 शाहपुरा, भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	: पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	: दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई-8/77 शाहपुरा, भोपाल
4.	प्रकाशक का नाम	: दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई-8/77 शाहपुरा, भोपाल
5.	सम्पादक का नाम	: दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई-8/77 शाहपुरा, भोपाल
6.	क्या भारतीय नागरिक हैं	: हाँ
7.	उन व्यक्तियों के नाम व समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या साझेदार हो।	: यह समाचार पत्र मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का हैं।

मैं दिनेशचन्द्र शर्मा एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

सही/-

दिनांक 1 मार्च 2017

(दिनेशचन्द्र शर्मा)
प्रकाशक

गरीब परिवार को अब अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता

मुख्यमंत्री श्री चौहान सेंधवा में सामूहिक विवाह और निकाह समारोह में

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना सामाजिक कुरूतियाँ समाप्त करने और गरीब घर की बेटियों की शादी करवाने में सहायक सिद्ध हुई है। श्री चौहान आज बड़वानी जिले के सेंधवा में सामूहिक विवाह और विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने 1151 नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया और 29 करोड़ 13 लाख लागत के भवनों का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना को पूरे देश में ख्याति मिली है और कई राज्यों ने इसे अपनाया है। इससे योजना की उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध होती है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार को अब अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बड़वानी में योजना में शादी करने वाले 25 मुस्लिम दंपतियों और 1126अन्य दंपतियों को आशीर्वाद और उपहार दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने

सामूहिक विवाह आयोजन में विवाह करने वाले वर को आम तथा वधू को जाम का पौधा भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ने सेंधवा में 29 लाख की लागत के 13 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 5 करोड़ की लागत के सिविल अस्पताल एवं 7 करोड़ 87 लाख के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन, 2 करोड़ की लागत के सेंधवा नगरपालिका के प्रशासनिक भवन, 2 करोड़ 8लाख से निर्मित 30 बिस्तरीय वरला अस्पताल भवन, 20-20 लाख की लागत के उमर्टी, पाजरिया, विनायकी, कालीकुण्डी, धमरिया, धावड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 7 लाख की लागत से निर्मित पिसनावल बैराज, 3 करोड़ 91 लाख की लागत से निर्मित नकटीरानी बैराज तथा 3 करोड़ 81 लाख की लागत से निर्मित ठीगली बैराज का भी लोकार्पण किया। तीन बैराज से इस क्षेत्र की 790 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सके। मुख्यमंत्री ने शाहपुरा में निर्मित होने वाले 132/33 केव्हीए विद्युत उप केन्द्र का भूमि-पूजन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पशुपालन मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य की माँग पर कई घोषणाएँ की। उन्होंने अगले शिक्षा सत्र से बलवाड़ी में महाविद्यालय शुरू करने, सेंधवा नगर पालिका को अलग से 5 करोड़ देने, सेंधवा में रेस्ट हाउस बनवाने, जिले में जहाँ भी संभव होगा, वहाँ पर नर्मदा का पानी लिफ्ट कर खेतों में सिंचाई की सुविधा, दशहरा मैदान सेंधवा में बाउण्ड्री वाल का, सोनखेड़ी, दुगानी, रोजानीमाल, मेहतगाँव की नदियों पर बैराज, सेंधवा माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 को उन्नयन कर हाई स्कूल में परिवर्तित करने, झोपाल, गोई निहाली मार्ग, सेंधवा से वरला मार्ग, कोलकी से सोलवन मार्ग, घुडचाल में गोई नदी पर पुलिया निर्माण, सिरवले खारक नदी पर पुलिया, दुगानी नदी पर पुलिया, धवली टाण्डा नदी पर पुलिया, धनोरा एवं बलवाड़ी में कन्या हाई स्कूल खोलने, मालवन हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने, धवली एवं गवाड़ी में 33/11 केव्ही का विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण करवाने की घोषणा की।

कार्यक्रम में सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान, पशुपालन मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य, मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष श्री कृष्णमुरारी मोघे, सांसद श्री सुभाष पटेल और विधायक श्री दीवान सिंह पटेल उपस्थित थे।

ड्रिप सहित फल क्षेत्र विस्तार योजना का ऑन लाईन लाभ लेने की अपील

छिन्दवाडा।उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित ड्रिप सहित फल क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ अब ऑन लाईन पंजीयन कराने वाले किसानों को प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर दिया जायेगा। इसके लिये जिले के किसानों से स्वयं के कम्प्यूटर से अथवा बाजार में एम.पी.ऑन लाईन या प्रायवेट इंटरनेट कैफे से या विभाग के कार्यालय से वेबसाईट पर नि:शुल्क ऑन लाईन पंजीयन कराने की अपील की गई हैं। इस योजना के माध्यम से किसान जहां सघन फल क्षेत्र विस्तार और फ्ल उत्पादन में वृद्धि कर सकेंगे, वहीं कम पानी में टपक सिंचाई का उपयोग कर पानी की बचत कर आमदनी बढ़ा सकेंगे। साथ ही कृषकों को जहां रोजगार के लिये स्थाई स्रोत बनेगा, वहीं फ्लों से संबंधित प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिल सकेगा।

उप संचालक उद्यान ने बताया कि ड्रिप सहित फल क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ लेने के लिये किसानों को ऑन लाईन पंजीयन कराने के समय पासपोर्ट साईज फोटो, कुल धारित भूमि के खसरे की छायाप्रति, आधार से लिंक बैंक पासबुक, आधार कार्ड की छायाप्रति, अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषकों के मामले में जाति प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता पडेगी। पंजीयन के बाद कृषकों को एक यूनिक आई.डी.मिलेगा जिसका उपयोग आगे के संदर्भ के लिये किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत कृषक को लागत राशि का प्रति हेक्टेयर 40 प्रतिशत अनुदान 75 प्रतिशत पौधे जीवित रहने पर भौतिक सत्यापन के बाद दिया जायेगा जो 3 वर्ष तक देय होगा। कृषक को न्यूनतम 0.25 और अधिकतम 4 हेक्टेयर तक के लिये अनुदान दिया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही कृषक को ड्रिप सहित फ्लदार पौधो का उच्च संघनता में स्वयं रोपण और उनका अनुरक्षण करना होगा। हितग्राही को विभागीय तकनीकी मापदंड के अनुसार भूमि की तैयारी खाद, उर्वरक, कटाई-छटाई, ड्रिप सिंचाई आदि करने के साथ ही विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और पौध रोपण के बाद फ्लोद्यान का रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराना होगा। उन्होंने बताया कि कृषक को विभागीय शासकीय नर्सरी, कृषि विश्वविद्यालय या अनुसंधान परिषदों की नर्सरियों से पौधे क्रय करना होंगे जिसकी राशि का भुगतान कृषक की अनुदान राशि से समायोजित कर शेष राशि कृषक के खाते में जमा की जायेगी तथा निर्धारित शासकीय संस्थानों से पौधे प्राप्त नही होने पर एन.एच.बी. से मान्यता प्राप्त निजी मॉडल नर्सरियों से कृषक स्वयं पौधे क्रय कर सकेंगे जिसका देयक प्रस्तुत करने पर पौधों की राशि सीधे कृषक के खाते में जमा की जायेगी। कृषक को विभाग द्वारा कोई आदान सामग्री उपलब्ध नही कराई जायेगी, किंतु कृषक को अनिवार्य रूप से ड्रिप प्रतिष्ठापन करना होगा जिसका देयक भी उसे प्रस्तुत करना होगा।

वन अधिकार पत्र संबंधी दावे प्राप्त करने विशेष अभियान 31 मार्च तक

भोपाल। आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश के दिशा- निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006के तहत वंचित रह गये दावेदारों से वन अधिकार पत्र संबंधी दावे प्राप्त करने के लिए 20 फरवरी से 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं।-

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।